ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

Knowledgeable Research
ISSN 2583-6633
Vol.02 No.01 August 2023
http://www.knowledgeableresearch.com/

बाल न्याय के क्षेत्र मे वाल–कल्याण समिति (cwc)/किशोर न्याय बोर्ड(JJB) की भूमिका/कार्यप्रणाली जनपद–फर्रूखाबाद उ0प्र0 के संदर्भ में

डॉ0संजीव गंगवार
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग शान्ति निकेतन महाविद्यालय फर्रूखावाद
ईमेलःsanjeevgangwar827@gmail.com

****

शोध सन्दर्भ

हर बालमन प्रतिभा गुणों से परिपूर्ण है किन्तु उसे आवश्यकता होती है ऐसे समाज और उपयुक्त समय की जो इसकी प्रतिभा को इन्द्रधनुष के रगों की तरह चमकाने में सहायक हो । सरकार की योजनाएं बाल विकास के लिये सराहनीय है परन्तु उनका धरातलीय उपयोग न हो पाना बाल बिकास में सर्वाधिक बाधक है यही वह नाजुक अवस्था होती है कि अगर हम बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं या वे किन्हीं अन्य कारणों से गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो वहॉ कानून की भूमिका शुरू हो जाती है जहॉ उसे सुधारात्मक तरीकों से या सजा के द्वारा सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है जिसके लिये पहले से ही अनेक कानूनों में विभिन्न प्रावधान बनाये गये थे जैसे भारतीय दण्ड सहिंता–1860 की धारा–82 में 1960–में बालक अधिनियम में 1986 में किशोर न्याय अधिनियम 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम तथा अब 2015 में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम अधिनियमित किये गये। बालकों को दण्डात्मक तरीके से नहीं बल्कि सुधारात्मक तरीकों अपराध से दूर रखा जा सके और उन्हें इस प्रकार से तैयार किया जाये कि वे अच्छे नागिरिक बन सकें लेकिन कुछ सालों से नाबालिगों के द्वारा बलात्कार हत्यायें अपहरण करने के मामलों अप्रत्याशित वृद्वि हुई है जिन पर लगाम लगानें के उद्वेश्य से किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 अधिनियमित कर सम्पूर्ण भारत में पीडि.त बच्चों के लिये न्यायपीठ बाल कल्याण समिति और बिधि का उल्लघंन करनें बालें बच्चों के लिये किशोर न्याय बोर्ड जनपद स्तर पर गठित किये गये जो कि महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय और न्याय विभाग मिलकर संचालित कर रहें हैं। निश्चित रूप से बालमन के अपराध प्रवृति को सुधारने में इनकी भूमिका लाभप्रद हो सकती हैं तथा साथ ही परिवार और समाज के समुचित प्रयास व सहयोग से ही विखरते बचपन को बचाया जा सकता है। जो एक कटु सत्य है।

Keywords: बाल न्याय, किशोर न्याय, भूमिका, फर्रूखाबाद

****

ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

SJPU	Special juvenile police Unit	विशेष किशोर पुलिस इकाई
CWPO	Child Welfare Police Officer	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
CNCP	child in need of Care & Protection	देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक
CCL	Children in Conflict with Low	विधि का उल्लंघन करने वाले बालक
CrPC, 1973	Code of Criminal Procedure, 1973	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
IPC, 1860	Indian Penal Code, 1860	भारतीय दण्ड संहिता, 1860
DcPU	District child protection Unit	जिला बाल संरक्षण इकाई
DPO	District Probation Officer	जिला प्रोबेशन अधिकारी
NCPCR	National Commission for protection of child rights	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
SCPCR	State Commission for protection of child reights	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
CWC	Child Welfare Comittee	बाल कल्याण समिति
JJB	Juvenile Justice Board	किशोर न्याय बोर्ड
JJ Act. 2015	Juvenile Justice Act, 2015	किशोर न्याय अधिनियम, 2015
POCSO, Act 2012	Protection of Children from Sexual offense act 2012	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
GD ENTRY	General Daily Entry	रोजनामचा आम
LCPO	Leagle cum probation officer	विधि सहपरिवीक्षा अधिकारी
CAC	Crime Against Children	बच्चों के विरूद्ध अपराध
CJM	Chief judicial Magistrate	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
SBR	Social Background Report	सामाजिक पृष्ठाभूमि रिपोर्ट
SIR	Social Investigation Report	सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

<u>सिद्धान्त जिन पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 आधारित है</u>

1– निर्दोशिता के अधिकार का सिद्धान्त

ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

(PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE)

2– सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त

(PRINCIPAL OF BEST INTEREST)

3– अपहानि न करने' कोई दुर्वव्यवहार न करने का सिद्धान्त

(PRINCIPLE OF NO HARM NO MALE TREATMENT)

4– कलंक लगाने वाले किसी भय बोध या कार्यो के न होने का सिद्धान्त

(PRINCIPLE oF NON-STIGMATIZATING SEMENMCS DECISION)

5– संतुलन का सिद्धान्त

(PRINCIPLE OF BALANCING)

6– अधिकारो का अधित्यजन न करने का सिद्धान्त

(PRINCIPLE OF NON-WAIVAR OF RIGHTS)

7– समानता का सिद्धान्त

(PRINCIPLE OF EQUALITY)

8– एकान्तता व गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त

(PRINCIPLE OF RIGHT TO PRIVACY)

9– नये सिरे से प्रारम्भ का सिद्धान्त

(PRINCIPLEOF FRESH START)

10– अंतिम साधन का सिद्धान्त

(PRINCIPLE OF LAST RESORT)

11– सम्प्रव्यावर्तन का सिद्धान्त(PRINCIPLE OF REPARTRIATION)

12– कुटुम्ब सुविधा का सिद्धान्त(PRINCIPLE OF FAMILE CUSHION)

ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

क्र0 सं0	बाल कल्याण समिति	किषोर न्याय बोर्ड
1.	अधिनियम 2015 अध्याय 5 नियम 27 के अन्तर्गत गठन किया जाता है।	अधिनियम 2015 के अध्याय 3 के नियम 4 के अन्तर्गत गठन किया जाता है।
2.	संरक्षण व देखरेख के क्षेत्र में कार्य एक अभिभावक व संरक्षक के रूप में कार्य करती है।	बच्चों के विधि उल्लघन व्यवहार के नियन्त्रक के रूप में कार्य करती है।
3.	बाल कल्याण समिति में भारतीय दण्ड संहिता (आई0पी0सी0) का उपयोग नहीं किया जाता है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता (आई0पी0सी0) का उपयोग किया जाता है।
3.	बाल कल्याण समिति भावनात्मक संरक्षण के रूप में निर्णय लेती है।	किशोर न्याय बोर्ड आवष्यकता अनुसार दण्डनात्मक पहलू पर आधारित होता है।
5.	गर्भावस्था में आये षिषु की सुरक्षा और संरक्षण से लेकर 18 वर्श तक के बच्चों की देख रेख व संरक्षण की जिम्मेदारी सम्भालती है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड बाल अपचारी की निर्धारित उम्र सीमा 07 वर्श से 18 वर्श तक के बालकों के क्षेत्र में न्याय का कार्य करती है।
6.	इसके निर्णय में मस्तिक के उपयोग के साथ ह्दय की अवाज को प्राथमिकता में रखा जाता है। अर्थात् निर्णय मानवीय दृश्टिकोण पर आधारित होता है।	किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय में दिल के ह्रदय के भावनात्मक पहलू की अपेक्षा मस्तिक को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि कल्याण मस्तिश्क की जटिलताओं में नहीं बल्कि ह्रदय की भावनाओं से जुड़ा होता है।
7.	बाल कल्याण समिति का प्रसाषनिक ढांचा गैर सरकारी होता है। जिन्हें भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट सरकारी व दो अन्य सदस्य गैर सरकारी होते है।
8.	बाल कल्याण समिति के सभी सदस्य व अध्यक्ष अधिनियम 2015 की धारा 27 की उपधारा 9 के अन्तर्गत षिटिंग मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते है। जो कि आवष्यकता पड़ने पर महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी जूडिषियल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते है।	प्रधान मजिस्ट्रेट को छोड़कर षेश गैर सरकारी सदस्य षिटिंग मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते है।
9.	बाल कल्याण समिति पटल के अपेक्षा क्षेत्र में आई समस्या को स्वतः संज्ञान में लेकर भी कार्यवाही कर सकती है। तथा आवष्यकता पड़ने पर एफ0आई0आर0 के आदेष जारी कर सकती है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड एफ0आई0आर0 के उपरान्त पटल पर आये प्रकरण की ही सुनवाई करती है।
10	बाल कल्याण समिति एफ0आई0 आर0 दर्ज होने से पूर्व ही समस्या को नियन्त्रित कर बच्चे को व्यवहार को गैर सामाजिक कार्य से रोकने हेतु काउन्सलर के रूप में कार्य करती है।	किषोर न्याय बोर्ड का कार्य एफ0आई0आर0 दर्ज होने के उपरान्त षुरू होता है।
11	बाल कल्याण समिति कानून के साथ बच्चों के हित व कल्याण को सर्वाेपरि मानकर कार्य करती है। सेवा भाव में अध्यात्मिक दृश्टिकोण के साथ कार्य करना पड़ता है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड कानून को सर्वाेत्तम मानता है तथा विधि उल्लंघन पर अपराध को लेकर संवेदन षीलता रहती है।

ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

12.	बाल कल्याण समिति बच्चों को प्ररभावित करने वाली सामाजिक बुराईयॉ व रूढ़ियों के उन्मूलन व प्रतिशेध के अधिनियमों पर कार्य करती है।	किशोर न्याय बोर्ड बच्चों द्वारा विधि उल्लघंन में कार्य करता है।
13.	बाल कल्याण समिति में प्रकरण का निस्तारण निष्चित समय के अन्दर किया जाता है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड में प्रकरण को मुकद्दमा के रूप में निस्तारित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया लम्बी भी चल सकती है।
14	बाल कल्याण समिति के निर्णय को जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पुनः दावा किया जा सकता है। जोकि हर त्रिमासिक समीक्षा करते है। अर्थात् बाल कल्याण समिति पर जिला मजिस्ट्रेट का नियन्त्रण निहित होता है।	जबकि किषोर न्याय बोर्ड के निर्णय का पुनः दावा न्यायालय की ऊपर की इकाईयों में ही किया जा सकता है।
15	बाल कल्याण समिति के पटल पर आये बच्चों को विभिन्न संरक्षण गृहों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहॉ बच्चों की मनोदषा पर विपरीत प्रभाव पड़नें की सम्भावना नहीं रहती है।	किशोर न्याय बोर्ड के पटल पर आये बच्चों को सम्प्रेक्षण गृह (जिसे पूर्व में बच्चा जेल, किषोर सुधार गृह कहते थे।) जघन्य अपचारी को जिला कारागार तक में भेजा जा सकता है। यहां किषोर अपचारियों के सम्पर्क में आने से बच्चों की मनोदषा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना बनी रहती है।

- किशोर न्याय बोर्ड के पटल की सामान्य कार्यप्रक्रिया के चरण
- न्यायालयों से स्थानात्तरित/ पुलिस द्वारा पेश वालक
- – किशोर जॉच ➡ वयान अपचारी 211crpc ➡ साक्ष्य ➡ वयान अपचारी 313crpc साक्ष्य सफाई यदि अपचारी चाहे ➡ वास्ते वहस ➡ आदेश ➡ प्ररकरण निस्तारित

किशोर न्याय बोर्ड, के अधीन बाल अपचारियों को

संरक्षित करने हेतु सेल्टर होम का विवरण।

1. विचाराधीन की स्थिति में– जब तक किसी बाल अपचारी का प्रकरण (केस) विचाराधीन की स्थति में रहता है और बाल अपचारी के संरक्षण की परिस्थिति में उम्र के आधार पर बोर्ड द्वारा निम्न गृह/कारागार में कथित अपचारी को संरक्षण प्रदान करता है–
   - (बालक) 07 वर्ष से 18 वर्ष तक के अपचारियों को– राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) जखा, फर्रूखाबाद।
   - (बालिका) 07 वर्ष से 18 वर्ष तक के अपचारी को– राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालिका), बाराबंकी।
   - (बालक) 18 वर्ष से अधिक आयु के अपचारियों को– जिला कारागार, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद
   - (बालिका) 18 वर्ष से अधिक आयु के अपचारियों को– जिला कारागार, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद

ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

2. <u>सजायाप्ता की स्थिति में–</u> अपचारी की सजायाप्ता की स्थिति में अपचारी को उम्र के आधार पर बोर्ड द्वारा निम्न गृह/कारागार में अपचारी को निरूद्ध किया जाता है–
   - (बालक) 07 वर्ष से 18 वर्ष तक अपचारियों को– राजकीय विशेष गृह (बालक), जनपद इटावा में निरूद्ध किया जाता है।
   - (बालिका) 07 वर्ष से 18 वर्ष तक अपचारियों को– राजकीय विशेष गृह (बालिका), बाराबंकी में निरूद्ध किया जाता है।
   - (बालक) 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के अपचारियों को– राजकीय विशेष गृह, (बालक), गाजीपुर में निरूद्ध किया जाता है।
   - (बालिका) 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के अपचारियों को– राजकीय विशेष गृह, (बालिका), बाराबंकी निरूद्ध किया जाता है।
   - 21 वर्ष से अधिक बाल अपचारी बालक/बालिका को– जिला कारागार, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद निरूद्ध किया जाता है। ।

नोट–

21 वर्ष के उपरान्त ऐसे अपचारी जिनकी सजा शेष है या पूरी सजा शेष है उनको मुल्यांकन के उपरान्त **(किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देख–रेख व संरक्षण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत धारा 20 के**

<u>बाल कल्याण समिति से बच्चों के संरक्षण सेल्टर/गृह</u>

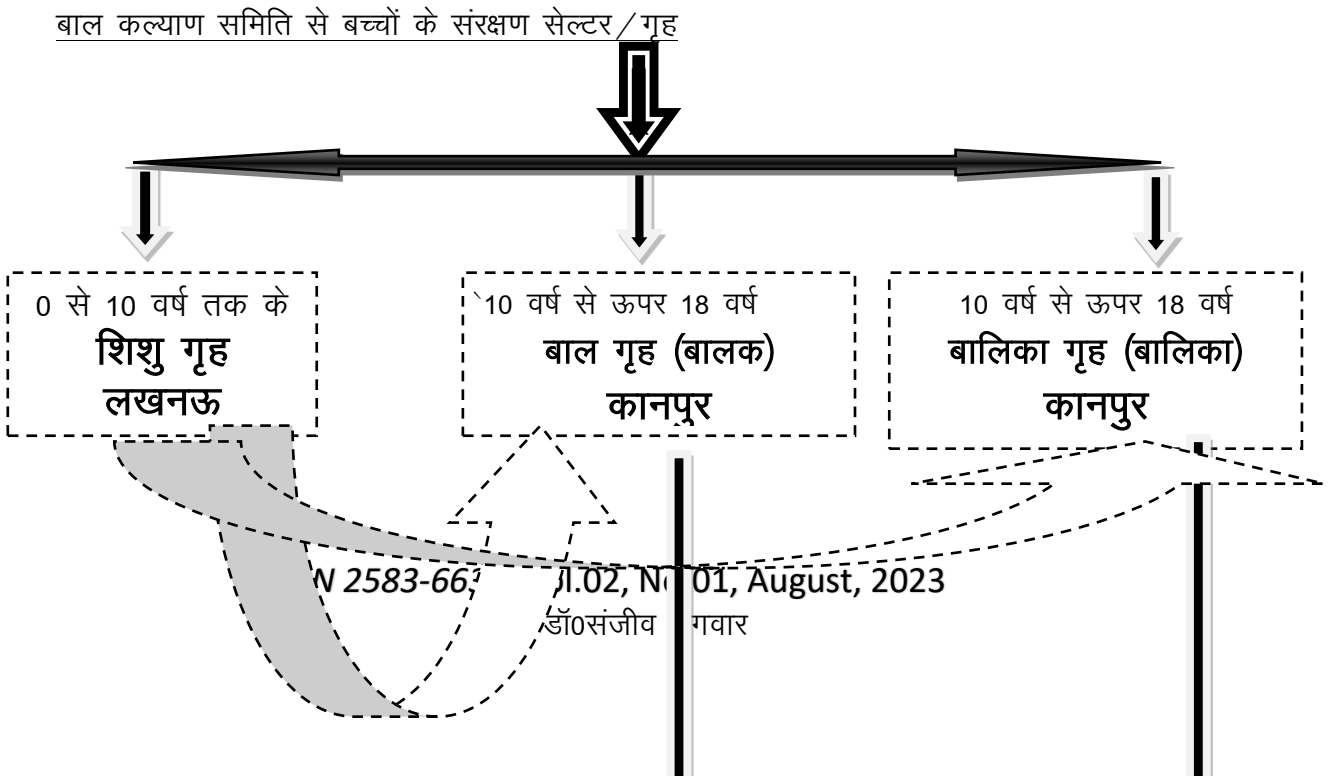

ISSN 2583-6633, Vol.02, No.01, August, 2023
Received Date: 18.08.2023
Published Date:31.08.2023

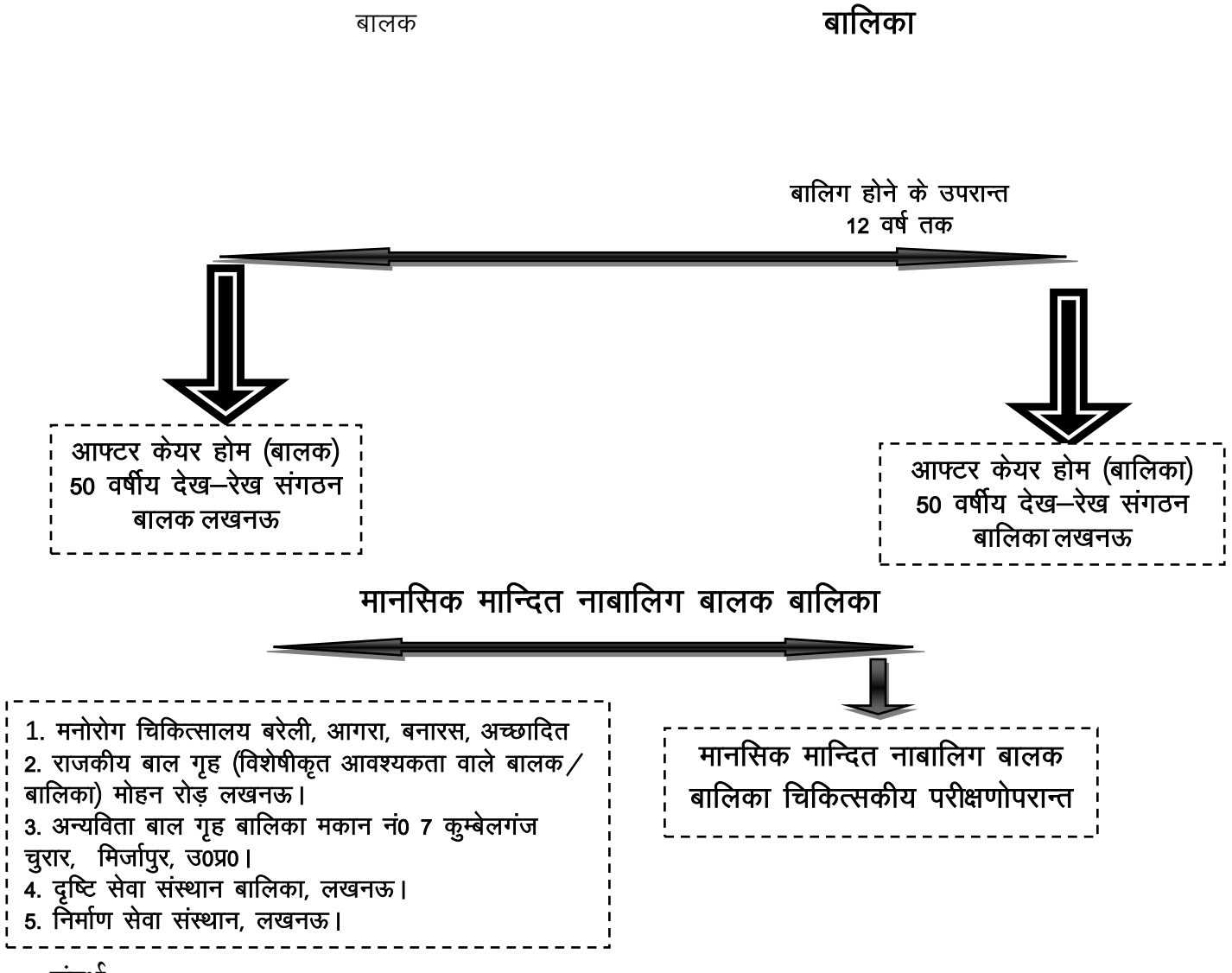

संदर्भ

1 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

2– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

3– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012